इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3845

10 मई, 2012 को उत्तर के लिए

लौह अयस्क खानों से इस्पात विनिर्माता इकाइयों तक

3845. श्री रविशंकर प्रसाद:
श्री शिवानंद तिवारी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात विनिर्माता औद्योगिक इकाइयों को उपयोग के लिये 'लौह अयस्क' की खानें आवंटित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस्पात विनिर्माता कंपनियों द्वारा अपने उपयोग की मात्रा से अधिक लौह अयस्क का खनन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो 2010-11 व 2011-12 में कितनी मात्रा में अतिरिक्त लौह अयस्क का खनन किया गया है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) और (ख): उपलब्ध सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और निजी क्षेत्र में टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, लॉयड मैटल्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ऊषा मार्टिन लिमिटेड, जिंदल सॉ लिमिटेड, जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऐसी प्रमुख लोहा एवं इस्पात कंपनियां हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कैप्टिव लौह अयस्क खानों का आबंटन किया गया है।

(ग) और (घ): कैप्टिव खनिकों समेत खनन पट्टा धारकों द्वारा लौह अयस्क का उपयोग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पट्टा धारकों को खानों के आबंटन की शर्तों एवं निबंधनों से शासित होता है। चूंकि लोहा एवं इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है इसलिए इस्पात कंपनियों द्वारा उत्खनित अतिरिक्त लौह अयस्क की मात्रा, यदि कोई हो, के संबंध में इस प्रकार की सूचनाएं इस्पात मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती हैं। तथापि, सेल ने सूचना दी है कि कैप्टिव खानों में इसका उत्पादन इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।

****